(1)

219

न्यायालय राजस्व मण्डल, म0प्र0 ग्वालियर

समक्ष : श्री एम0के0सिंह

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 447-II/2016 विरूद्ध आदेश दिनॉक 29-10-2015 -पारित व्दारा - अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर - प्रकरण कमांक 541-अ-6/11-12 अपील

गुरूदयाल उर्फ गुरदू पुत्र मसलती यादव
ग्राम बैरवार तहसील जतारा जिला टीकमगढ़ ---आवेदक

विरूद्ध

महिला गुडडी पत्नि बीरसिंह यादव
ग्राम बैरावार तहसील जतारा
जिला टीकमगढ़ मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री जी0पी0नायक)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री एस0पी0धाकड़)

आ दे श

(आज दिनांक 9 -2-2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 541-अ-6/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-15 के विरूद्ध म0प्र0भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि ग्राम बैरवार स्थित भूमि कुल किता 7 कुल रकबा 1.343 हैक्टर में नत्थू पुत्र भैयालाल हिस्सा 1/5 के तथा गुरूदयाल पुत्र मसलती यादव हिस्सा 3/4 के भूमिस्वामी हैं। इस भूमि का दोनों पक्षों के बीच ग्राम की नामान्तरण पंजी के सरल कमांक 75 पर आदेश दिनांक 21-11-08 से बटवारा किया गया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक

ने अपर कलेक्टर टीकमगढ़ के न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत की। अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 9/08-09 में पारित आदेश दिनांक 29-11-08 से बटवारा आदेश दिनांक 21-11-08 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण तहसीलदार की ओर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप बटवारा करने हेतु प्रत्यावर्तित किया गया। तहसीलदार जतारा ने प्रकरण कमांक 11/अ-27/07-08 में पारित आदेश दिनांक 30-5-09 से बटवारा स्वीकार किया। इस आदेश के विरूद्ध आवेदक ने अनुविभागीय अधिकारी जतारा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी ने प्रकरण कमांक 92/08-09 अपील में आदेश दिनांक 6-5-10 से अपील अस्वीकार की। इस आदेश के विरूद्ध अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के समक्ष अपील कमांक 541-अ-6/11-12 प्रस्तुत होने पर आदेश दिनांक 29-10-15 से अपील अस्वीकार की गई। इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने तथा उपलब्ध अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अपर कलेक्टर टीकमगढ़ ने प्रकरण कमांक 9/08-09 में पारित आदेश दिनांक 29-11-08 से बटवारा आदेश दिनांक 21-11-08 निरस्त करके प्रकरण तहसीलदार की ओर संहिता की धारा 178 के प्रावधानों के अनुरूप बटवारा करने हेतु प्रत्यावर्तित किया है। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि तहसील न्यायालय में प्रकरण पुनः कार्यवाही हेतु प्रत्यावर्तित होने के वाद तहसीलदार जतारा ने राजस्व

निरीक्षक से मौके की स्थिति के मान से बटवारे हेतु फर्द तैयार कर मांगी है आवेदक की ओर से आपत्ति यह उठाई गई है कि राजस्व निरीक्षक ने आवेदक को मौके पर नहीं बुलाया और न खेतों पर गये, अपितु अनावेदक से मिलकर एकपक्षीय अच्छी किस्म की भूमि अनावेदक को दे दी जिस पर नत्थू पुत्र भैयालाल व्दारा अनावेदक को विक्रीत भूमि नत्थू एंव आवेदक के बीच वर्षो पूर्व आपसी सहमति बटवारे अनुसार काविज होकर खेती करता आ रहा है इसलिये राजस्व निरीक्षक के व्दारा प्रस्तुत फर्द अनुसार बटवारा किया जाना अनुचित है। प्रकरण में आये तथ्यों से परिलक्षित है कि वादग्रस्त भूमि में से अपने हिस्से की भूमि के विक्रेता नत्थू पुत्र भैयालाल एंव आवेदक का आपसी समझोते के आधार पर वर्षो पूर्व सहमति बटवारा होकर मौके पर काविज है तब क्या आवेदक के हित की भूमि पुर्नबटवारे में क्रेता अनावेदक को दी जा सकती है। अपर आयुक्त के प्रकरण में अनुविभागीय अधिकारी के प्रकरण कमांक 92/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-5-10 प्रमाणित प्रतिलिपि संलग्न है तथा अपर आयुक्त एंव अनुविभागीय अधिकारी के आदेशों में उक्त तथ्य पर ध्यान नहीं दिया गया हैं । भले ही विक्रयपत्र में सामिलाती भूमि में के एक पक्षकार व्दारा भूमि विक्रय करते समय विक्रीत भूमि की चतुर्सीमा कुछ भी अंकित कर दी हो, किन्तु मौके पर कब्जे की स्थिति तथा भूमि की किस्म बटवारे में प्रकरण में ऑकी जाती है, किन्तु तीनों अधीनस्थ न्यायालयों व्दारा उक्त पर ध्यान न देने में भूल की है जिसके कारण तीनों अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश स्थिर रखे जाने योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी आँशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपर आयुक्त, सागर संभाग, सागर के प्रकरण कमांक 541-अ-6/11-12 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-15, अनुविभागीय अधिकारी जतारा के प्रकरण कमांक 92/08-09 अपील में पारित आदेश दिनांक 6-5-10 तथा तहसीलदार जतारा व्दारा प्रकरण कमांक 11 अ-27/08-09 में पारित आदेश दिनांक 30-5-09 त्रृटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाते हैं तथा तहसीलदार जतारा की ओर प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया जाता है कि वह स्वयं् स्थल निरीक्षण कर मौके पर कब्जे के मान से एंव भूमि की किस्म की मान से फर्द तैयार करावें तथा हितबद्ध पक्षकारों को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देकर पुनः विधिवत् आदेश पारित करें।

(एम0के0सिंह)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर